FACE
Food and Agriculture Centre of Excellence

CII
Confederation of Indian Industry
125 Years: 1895-2020

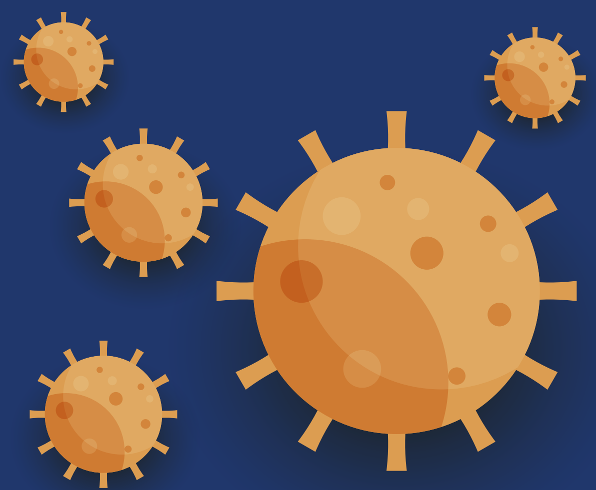

कोविड-19

फल और सब्जी मंडियों के लिए मार्गदर्शक जाँच बिंदु

सरकारी प्राधिकरणों द्वारा अपनाये जाने वाले एहतियात

- कोविड–19 पर क्या करें/क्या न करें के निर्देशों को प्रदर्शित करें और प्रशिक्षण उपलब्ध करायें
- मंडी में बहुप्रवेश पर पाबंदी लगायें
- सुरक्षा कर्मचारी/स्वयंसेवकों के लिए प्रवेश द्वार पर, बाहर जाने पर और गश्त पर निकलने पर मास्क, दस्ताने, टोपी, वर्दी सुनिश्चित करें
- प्रवेश द्वार पर गैर–संपर्की थर्मामीटर से सभी कर्मचारियों, खरीदारों और विक्रेताओं की तापमान जाँच (99.5 डिग्री फॉरेनहाईट से अधिक नहीं) सुनिश्चित करें।
- खाँसी, तेज बुखार (99.5 डिग्री फॉरेनहाईट से अधिक), नाक बहने और साँस की तकलीफ से पीड़ित व्यक्तियों के प्रवेश पर पाबंदी लगायें।
- तत्काल अलगाव सुनिश्चित करने के लिए किसी भी बीमार व्यक्ति के बारे में सक्षम प्राधिकारी को सूचित करें।
- प्रवेश द्वार पर स्वचालित तरल साबुन/सैनिटाइज़र डिस्पेंसर/साबुन और प्रवाहित पानी के साथ सैनिटेशन स्टेशन स्थापित करें (लगभग 15–20 व्यक्तियों के लिए एक नल)।
- कतारों में सामाजिक दूरी (लगभग 1.5 मीटर) सुनिश्चित करने के लिए पेंट के निशान बनवायें (1.5 Mtr)
- गीले और सूखे कचरे के लिए अलग–अलग विशिष्ट कचरा क्षेत्रों की पहचान करें
- मंडी बंद होने के बाद परिसर, सुविधाओं, दुकानों, शौचालयों, कचरा क्षेत्रों को साफ करायें और स्वीकृत सफाई रसायनों, धूमन एजेंसी और ऑपरेटर का उपयोग करके धुआँ करायें।
- किसानों, व्यापारियों और मंडी संचालकों के लिए मास्क वितरित करें।
- कचरा संग्रह कर्मियों के लिए निजी सुरक्षा सामग्री (दस्ताने, मास्क, वर्दी, ढके हुए जूते) सुनिश्चित करें

COVID–19 के प्रसार को रोकने के लिए, WHO और MOHFW, व्यक्तियों को सामाजिक दूर करने या लगभग 1 मीटर (3 फीट) बनाए रखने की सलाह देते हैं। CDC दूसरों से लगभग 2 मीटर (6 फीट) की सिफारिश करता है, जब संभव हो। एकसर्वोत्तम अभ्यास के रूप में, लगभग 1.5 मीटर बनाए रखा जा सकता है।

Date: 6 अप्रैल 2020